न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—173/2015/223 आर.टी.एक्ट (2015/00303)

1. सुगना पुत्र श्री मांगीलाल फौत जरिए वारिसानः—
   1/1 गौरा देवी पत्नि सुगना
   1/2 रामदेव पुत्र सुगना
   1/3 रमेश उर्फ रामेश्वर पुत्र सुगना
   1/4 सुखपाल पुत्र सुगना
   1/5 मीना देवी पुत्री सुगना
   समस्त जाति कुमावत निवासी आमलीखेडा तहसील सावर जिला अजमेर।
2. छोटू पुत्र श्री मांगीलाल जाति कुमावत निवासी आमली खेडा तहसील सावर हाल मुकाम सापन्दा रोड, शिव मंदिर के पास केकडी, तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. रामचन्द्र दत्तक पुत्र जुवारा कुमावत निवासी आमली खेडा तहसील सावर जिला अजमेर।
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, सावर जिला अजमेर

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी राजस्व वाद संख्या 127/2014

उपस्थितः—

1. श्री एस0पी0औझा0 अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः—19.05.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 127/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 188 के तहत प्रतिवादी/अपीलांट व राजस्थान सरकार के विरूद्ध बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा के तहत प्रस्तुत किया। उपरोक्त वाद दिनांक 15.7.2014 दर्ज किया गया प्रतिवादीगण की तलबी की गई दिनांक 16.10.2014 को प्रतिवादीगण के तरफ से पॉवर पेश किया गया। वास्ते जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 23.3.2015 को पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर होने से पत्रावली दिनांक 18.5.2015 नियत कर दी गई तदपश्चात न्याय

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

आपके द्वारा समूह केम्प कोर्ट की सील का अंकन कर पत्रावली 8.5.2015 में दर्ज कर आगामी पेशी 25.5.2015 नियत कर केम्प कोर्ट में निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 127/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद जो जवाब में नियत था तथा आगामी पेशी दिनांक 18.5.2015 नियत थी लेकिन दिनांक 8.5.2015 को ही न्याय आपके द्वार समूह केम्प कोर्ट की सील अंकित कर पत्रावली प्रोसिडिंग में सील अंकित कर दिनांक 25.5.2015 को पत्रावली नियत कर दी गई जबकि उक्त पत्रावली में जवाब हेतु नियत थी जवाब के पश्चात तनकी कायम की जाती है तद्पश्चात वादी एवं प्रतिवादीगण की शहादत ली जाती है तद्पश्चात बहस सुनकर पत्रावली में निर्णय पारित किया जाता है। दिनांक 25.5.2015 को वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति दर्ज कर पक्षकारों को सुनना अंकन किया गया है जबकि ना तो प्रतिवादीगण उपस्थित हुए है और ना ही उनकी ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित हुए है जो प्रोसिडिंग से स्पष्ट है कि केवल वादी रामचन्द्र के हस्ताक्षर बिना नोटिस जारी किए बेक डेट में सील लगाकर केम्प कोर्ट में पत्रावली नियत कर एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। वाद में विधिक प्रक्रिया अपनाने के पश्चात निर्णय पारित किय ाजाता है तद्पश्चात प्राथमिक डिक्री पारित की जाती है उसके पश्चात बंटवारा स्कीम तहसीलदार से मौका कमीश्नर नियुक्त कर पक्षकारों को नोटिस जारी कर उनकी मौजूदगी में बंटवारा स्कीम तैयार की जाती है तद्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, केकडी उक्त रिपोर्ट पर अगर किसी पक्षकार की कोई आपत्ति हो तो उसको सुनकर आपत्ति को तय कर तद्पश्चात अंतिम निर्णय पारित किया जाता है पत्रावली के प्रोसिडिंग से यह स्पष्ट है कि दिनांक 25.5.2015 को ही निर्णय पारित किया गया प्राथमिक डिक्री पारित नहीं की गई उसी दिन राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारी द्वारा केम्प में ही बैठकर बंटवारा प्रस्ताव पेश कर दिया और उसी अनुसार निर्णय पारित कर दिया गया तथा 69 रूपए के नॉन ज्यूडिशयल स्टाम्प पेश करने पर अंतिम डिक्री जारी की जावे के आदेश पारित कर निर्णय पारित कर दिया। रामचन्द्र जो कि गोद पुत्र जुवारा है जिसने गलत रूप से तथ्यों को छुपाकर रामचन्द्र पुत्र मांगीलाल बनकर वाद प्रस्तुत कर दिया और प्रतिवादी/अपीलांट का जवाब आए बगैर मिला भगती एवं कोलूजन कर वाद को एक ही दिन में कैम्प कोर्ट में डिक्री करवा लिया। जबकि एक अन्य वाद रामचन्द्र बनाम रामदेव वाद संख्या 180/2014 जिसमें जुवारा का गोद पुत्र के आधार पर वाद प्रस्तुत किया उसको भी इसी प्रकार केम्प कोर्ट में दर्ज करवा कर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त की है उससे भी स्पष्ट है कि एक तरफ तो वह जुवारा का गोद पुत्र बनकर डिक्री प्राप्त कर रहा है और एक ओर मांगी लाल का पुत्र बनकर अंतर्गत आदेश अपील पारित करवाई है तथा दोनों ही एक ही दिन दिनांक 25.5.2015 को पारित किए गए है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वह जुवारा का गोद पुत्र था उसके बावजूद अलग अलग व्यक्तियों का पुत्र बनकर जो अलग अलग आराजी बाबत वाद डिक्री कराए है निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा बंटवारा प्रस्ताव जो उसी दिन प्राप्त किए है जिसमे रेस्पोडेंट संख्या 3

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

लगायत 5 को सुगना के बजाय खातेदार व बंटवारा करने का निर्णय पारित किया है वह किस प्रकार किया है वह स्पष्ट नहीं है ना ही वह वाद में पक्षकार है और किसी प्रकार 3 लगायत 5 के नाम आराजी का बंटवारा किया। ऐसा लगता है कि न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया में दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 5 को अपील में इस कारण पक्षकार बनाया गया है क्योंकि उनको निर्णय में 1/2 हिस्सा दर्ज करने के आदेश प्रदान किए है अन्यथा उनको पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अपील में कोई खामी नहीं रहे इसलिए उनको पक्षकार बनाया जा रहा है। वादी ने इसी विवादित व अन्य आराजी बाबत जिसमें रामचन्द्र का नाम पुत्रान मांगीलाल के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया था जिसको हटाए जाने हेतु एक वाद धारा 88 व 188 बाबत प्रस्तुत किया हुआ है। जो विचाराधीन है तथा वह दावे भी साथ साथ ही विचाराधीन थे लेकिन उक्त वादों को तो केम्प कोर्ट में नियत नहीं किए गए और वाद में अपने वाद को नियत करवाकर एकपक्षीय निर्णय प्राप्त किए गए है। इस प्रकार प्रशासन न्याय आपके द्वार 2015 का दुरूपयोग कर निर्णय प्राप्त किया वह निर्णय निरस्त योग्य है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा कोई प्राथमिक डिक्री पारित नहीं की गई है इसलिए आदेश 20 नियम 6 अनुसार निर्णय के ओपरेटिव भाग को डिक्री माना जाकर उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 127/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2015 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि विवादित आराजीयात वाकै मौजे जंगल ग्राम आमली तहसील सावर में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त कब्जे, काश्त, स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। राजस्व रिकार्ड में आराजीयात सुगना, छोटू, रामचन्द्र पि0 मांगीलाल कौम कुमावत सा0देह खातेदार राहिन भीलवाडा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मेहरूकलां मुर्तहीन रामचन्द्र व सुगना का हिस्सा दर्ज है। राजस्व लगान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 संयुक्त अदा करते है। वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त कब्जे काश्त की है। राजस्व लगान भी संयुक्त रूप से अदा करते है, लेकिन प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 की नीयत बद हैं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 वादी को आराजी के संयुक्त कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करते है तथा राजस्व लगान अदा करने में भी परेशानी का सामना करना पडता है, इस कारण वादी ने दिनांक 7.7.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को आराजीयात का विधिवत बंटवारा करने का निवेदन किया जिससे की आराजीयात को काश्त करने में किसी भी पक्ष को परेशानी नहीं हो और न ही राजस्व लगान अदा करने में परेशानी हो। लेकिन प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने कोई सुनवाई नहीं की गई बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी से वाद विवाद करने लग गए। आराजीयात का राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी 1 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा में विधि अनुसार विभाजन किया जावे तथा राजस्व लगान प्रत्येक पक्ष का अलग अलग निश्चित किया जावे तथा प्रत्येक पक्षकार का खाता अलग अलग किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस आदि में भी इंद्राज किया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 जो कि क्रमशः रामदेव पुत्र सुगना, अलोल देवी पत्नि सुगना, रमेश पुत्र सुगना का वर्तमान प्रकरण में नाम तर्क किया जाता है व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी स्वीकार किया जाता है।

वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 188 के तहत प्रतिवादी/अपीलांट व राजस्थान सरकार के विरूद्ध बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आगामी पेशी 25.5.2015 नियत कर केम्प कोर्ट में निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2068–2071 के खाता संख्या 430 नए व खाता संख्या 417 पुराने कुल किता 16 कुल रकबा 3.02 है0 के अनुसार सुगना, छोटू व रामचन्द्र पिसरान मांगीलाल जमाबंदी में अंकित है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री में रेस्पोडेंट संख्या 1 को व अपीलांट्स को प्रत्येक को विवादित आराजीयात बाबत 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। परंतु पत्रावली पर उपलब्ध एक अन्य जमाबंदी संवत 2068–2071 कुल किता 10 कुल रकबा 1.52 में रामचन्द्र मुतबन्ना जुवारा कौम कुमावत साकिन देह खातेदार दर्ज है। उक्त दोनों जमाबंदीयों के अनुसार रामचन्द्र मुतबन्ना जुवारा व रामचन्द्र पुत्र मांगीलाल दोनों जमाबंदीयों में रामचन्द्र के पिता का नाम अलग अलग है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच पडताल किए रामचन्द्र को दोनों आराजीयात में खातेदार/काश्तकार घोषित किया गया है। चूंकि इसी वाद से संबंधित एक अन्य वाद रामचन्द्र बनाम रामदेव वाद संख्या 180/2014 जिसमें जुवारा का गोद पुत्र के आधार पर वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में भी रामचन्द्र के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की गई। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में रामचन्द्र को एक तरफ तो जुवारा का पुत्र मानकर डिक्री पारित की गई व एक तरफ मांगीलाल का पुत्र मानकर डिक्री पारित की गई तथा दोनों निर्णय एक ही दिनांक 25.5.2015 को पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय यह विधिक त्रुटि कारित की गई है कि एक ही व्यक्ति दो अलग अलग पिता की आराजीयात में से किस आधार पर खातेदार घोषित किया गया। चूंकि रामचन्द्र जुवारा के गोद पुत्र गया है जो कि जमाबंदी से स्पष्ट है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस आधार पर मांगीलाल की आराजीयात में से उन्हें हक हिस्से बाबत खातेदार घोषित किया गया। इस बिंदु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उन्होंने एक ही व्यक्ति को किस आधार पर दो व्यक्तियों की आराजीयात में से खातेदार घोषित कर डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय किसी भी आधार पर विधि सम्मत नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना जवाब का अवसर दिए पत्रावली को दिनांक 25.5.2015 को नियत कर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। चूंकि पत्रावली जवाब हेतु नियत थी जवाब के पश्चात तनकी कायम की जाती तत्पश्चात वादी एवं प्रतिवादीगण की शहादत ली

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

जाती तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनकर पत्रावली में निणर्य पारित किया जाता परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित की गई। चूंकि पत्रावली केम्प कोर्ट गोरधा में दिनांक 25.5.2015 को नियत की गई इस बाबत भी वर्तमान अपीलांट को केम्प कोर्ट में उपस्थिति बाबत कोई सूचना दी गई हो इस बाबत भी पत्रावली पर कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है। कोर्ट केम्प की आदेशिका दिनांक 25.5.2015 में केवल रामचन्द्र के ही हस्ताक्षर है, इससे स्पष्ट है कि वर्तमान अपीलांट केम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए व बिना उनकी उपस्थिति में बिना जवाब प्रस्तुत किए व सुनवाई का अवसर प्रदान किए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गई है। चूंकि विधिक प्रक्रिया अपनाने के पश्चात निर्णय पारित किया जाता है तत्पश्चात प्राथमिक डिक्री पारित की जाती है उसके पश्चात तहसीलदार को मौका कमीश्नर नियुक्त कर पक्षकारों को नोटिस जारी कर उनकी मौजूदगी में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाता है, ताकि उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर किसी पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो उसको सुनकर आपत्ति को तय कर अंतिम निर्णय पारित किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 24.5.2015 को बंटवारा प्रस्ताव बिना तहसीलदार की उपस्थिति के नियम 18 से 21 की पालना किए बगैर तैयार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर दिनांक 25.5.2015 को निर्णय पारित किया गया तथा 69 रूपए के नॉन ज्यूडिशयल स्टाम्प पेश करने पर अंतिम डिक्री जारी की जावे के आदेश पारित किए गए जो कि न्याय संगत नहीं है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में विधिक त्रुटि कारित हुई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से उक्त निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 127/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2015 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभयपक्षकारान को जवाब, सुनवाई का अवसर देते हुए तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पक्षकारों की उपस्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार तैयार करते हुए व उक्त रिपोर्ट पर उनकी आपत्ति व जवाब लेकर उनका निस्तारण करते हुए प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय एवं डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.05.2025 को उपस्थिति होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

19/5/25

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner